


अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत रा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी प्रामाणिकता से साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गरनीया पटवार हल्का गरनीया में स्थित खसरा संख्या 147 कुल रकबा 0.1619 किस्म बारानी दोयम के राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।



सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)